

**निबीप्रगानि को किए जाने वाले आरटीजीएस भुगतान के संबंध में
बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न { एफ.ए.क्यू }**

भाग 1 - सामान्य

प्रश्न 1 आरटीजीएस प्रणाली क्या है?

उत्तर परिवर्णी शब्द "आरटीजीएस"का तात्पर्य है तत्काल सकल भुगतान। यह एक इलेक्ट्रानिक निपटान प्रणाली है, जहां संसाधन और निपटान आदेश- दर-आदेश (नेटिंग के बगैर) आधार पर वास्तविक समय में (निरंतर -समूह प्रोसेसिंग प्रकार से नहीं) होता है। यह विचार करते हुए कि निधि अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक की बहियों में होता है, भुगतान को अंतिम और अप्रतिसंहरणीय माना जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ-साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 23 के अंतर्गत यह विधिक रूप से मान्य भुगतान पद्धति है।

प्रश्न 2 आटीजीएस, इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली (ईएफटी) अथवा राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर ईएफटी और एनईएफटी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रकार हैं जो आस्थगित निवल भुगतान (डीएनएस) केआधार पर लेन देनों को समूहों में उदा. कार्य दिवस में 6 बार और शनिवार को 3 बार निपटाते हैं। डीएनएस में निपटान एक विशिष्ट समय पर निधि की उपलब्धता के अधीन होता है। तब तक सभी लेन देनों को रोक रखा जाता है। विनिर्दिष्ट निपटान समय के बाद किए गए लेन देन को अगले विनिर्दिष्ट निपटान समय तक रुकना पड़ता है। इसके विपरीत आरटीजीएस लेन देनों को निरंतर आरटीजीएस के कारोबार घंटों में सारा समय संसाधित किया जाता है और उसी दिन आदाता के खाते में जमा कर दिया जाता है।

प्रश्न 3 क्या आरटीजीएस / एनईएफटी लेन देनों के लिए कोई न्यूनतम/ अधिकतम राशि की शर्त है?

उत्तर प्राथमिक तौर पर यह बड़े मूल्य के लेन देनों के लिए अभिप्रेत है, आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि 1 लाख रु. है और आरटीजीएस के लिए उच्चतम सीमा नहीं है। ईएफटी और एनईएफटी लेन देनों के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम शर्त निर्धारित नहीं की गयी है।

प्रश्न 4 आरटीजीएस के अंतर्गत एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण करने में कितना समय लगता है?

उत्तर सामान्य परिस्थितियों में विप्रेषिती बैंक से जैसी ही निधियां अंतरित की जाती हैं ,वास्तविक समय में लाभार्थी को प्राप्त हो जानी चाहिए। बैंक को निधि अंतरण संदेश प्राप्त होने के दो घंटों में लाभार्थी को खाते में जमा कर देना चाहिए।

प्रश्न 5 क्या विप्रेषिती ग्राहक को लाभार्थी के खाते में निधि जमा करने की प्राप्ति सूचना मिलती है?

उत्तर आरटीजीएस के अंतर्गत विप्रेषिती बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से यह संदेश मिलता है कि प्राप्तकर्ता बैंक के खाते में राशि जमा कर दी गयी है। इसके आधार पर विप्रेषिती बैंक, विप्रेषिती ग्राहक को यह सूचित कर सकता है कि राशि प्राप्तकर्ता बैंक के सुपुर्द की जा चुकी है। इसके समर्थन में एक (यूनिक) लेन देन संदर्भ (यूटीआर) संख्या होती है जो भविष्य में लेन देन के संदर्भ का काम करेगी।

प्रश्न 6 यदि राशि निबीप्रगानि के खाते में जमा नहीं की जाती है तो क्या विप्रेषिती ग्राहक को वापस मिल जाती है ? कब ?

उत्तर हां। यह अपेक्षित है कि प्राप्तकर्ता बैंक लाभार्थी के खाते में तुरंत जमा कर देगा। यदि किसी भी कारणवश राशि जमा नहीं की जाती है तो प्राप्तकर्ता बैंक को 2 घंटों के अंदर विप्रेषण बैंक को राशि वापस करनी होगी जिस पर ग्राहक के खाते में मूल नामे प्रविष्टि को प्रतिवर्तित किया जाता है।

प्रश्न 7 किस समय तक आरटीजीएस सर्विस विंडो उपलब्ध है?

उत्तर 28 जनवरी 2008 से ग्राहक के लेन देनों के लिए आरटीजीएस सर्विस विंडो साप्ताहिक दिनों में 9 बजे से 16.30 बजे तक तथा शनिवार को 9 बजे से 12.30 बजे तक उपलब्ध है। अंतर बैंक लेन देनों के लिए सर्विस विंडो साप्ताहिक दिनों में 9.00 बजे से 18.00 बजे तक और शनिवार को 9.00 बजे से 14.40 बजे तक उपलब्ध है।

प्रश्न 8 क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके जरिए विप्रेषिती बैंक प्रीमियम विप्रेषण का पता लगा सके?

उत्तर यह प्रीमियम का भुगतान करने वाले बीमाकृत बैंक और विप्रेषण बैंक के बीच की व्यवस्था पर आधारित होगा। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा वाले कुछ बैंक यह सेवा उपलब्ध कराते हैं। एक बार निधियां लाभार्थी बैंक के खाते में जमा होते ही, विप्रेषिती ग्राहक व्यवस्था के जरिए अपने बैंक से पुष्टिकरण प्राप्त करता है।

प्रश्न 9 आरटीजीएस लेन देनों के लिए संसाधन प्रभार / सेवा प्रभार क्या हैं ?

उत्तर भा रि बैं निदेशों के अनुसार बैंक 8 अक्टूबर, 2008 से आरटीजीएस विप्रेषण(जावक) के लिए निम्नलिखित प्रभार लगा सकते हैं :

(क) 1 से 5 लाख रु. : अधिकतम 25 रु. प्रति लेन देन
(ख) 5 लाख रु. और उससे अधिक : अधिकतम 50 रु. प्रति लेन देन

एनईएफटी (जावक) प्रेषण लेन देनों के लिए प्रभार निम्नानुसार हैं :

1 से 5 लाख रु. : अधिकतम 5 रु. प्रति लेन देन
(क) 5 लाख रु. और उससे अधिक : अधिकतम 25 रु. प्रति लेन देन }

प्रश्न 10 क्या भारत में सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस सेवाएं प्रदान करती हैं?

उत्तर नहीं। भारत में सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस समर्थित नहीं हैं। वर्तमान में 99 बैंक 52000 से अधिक शाखाओं के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की शाखाओं की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट <http://www.rbi.org.in/Scripts/Bsview RTGS.aspx> (अथवा होम पेज से "For Bankers लिंक" पर) उपलब्ध है। आप अपने बैंकर के साथ इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में पता लगा सकते हैं।

DIC
GCC

प्रश्न 11 क्या किसी बीमाकृत बैंक को जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने हेतु आरटीजीएस /एनईएफटी या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्रकार का प्रयोग करने अथवा न करने का विकल्प है?

उत्तर भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान और निपटान विभाग) के दिनांक. 20 जून, 2008 के परिपत्र सं.2007-08/375 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक नियंत्रित बाजारों में भारतीय रिज़र्व बैंक नियंत्रित उपक्रमों द्वारा 10 लाख रु. से अधिक भुगतान को 1 अगस्त 2008 से अनिवार्यतः इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस के माध्यम से ही किया जाना है। अतः बीमाकृत बैंकों द्वारा 10 लाख या उससे अधिक जमा बीमा प्रीमियम भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस आदि के अलावा भुगतान करना और निपटान के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों का अननुपालन होगा।

प्रश्न 12 निबीप्रगानि को 10 लाख रु. से कम प्रीमियम भुगतान के संबंध में क्या करना है?

उत्तर बीमाकृत बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में, 1 से 10 लाख रु. के बीच के भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करें। कुछ बैंकों का पूर्व अनुभव होगा कि, जैसे कुछ अदाकर्ता बैंकों द्वारा 'सम मूल्य पर' चेकों को बार बार वापस करना, पारगमन में विलंब, अचानक अवकाश/ हड़ताल आदि के कारण कई अवसरों पर (बैंक दर +8% की दर पर) दंडात्मक ब्याज लगाना पड़ा। इलेक्ट्रानिक भुगतान पद्धति के प्रयोग से इस प्रकार के दृष्टांतों को टाला जा सकता है।

आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने के कुछ लाभ निम्नानुसार हैं-

- पूर्व-निधिक व्यवस्थाओं से भिन्न बीमाकृत बैंकों द्वारा वास्तविक निधि अंतरण की अंतिम तारीख तक "चल पूंजी" का लाभ उठाने के लिए विप्रेषण को निर्धारित करने के जरिए अधिक प्रभावी निधि प्रबंधन।
- भौतिक लिखतों से संबंधित विभिन्न परिचालनगत जोखिमों को दूर किया गया।
- निबीप्रगानि खाते में राशि जमा करने के संबंध में प्रवर्तक शाखा द्वारा उसी दिन पुष्टिकरण ।
- अदाकर्ता बैंक द्वारा समाशोधन में लिखत की वापसी से संबंधित जोखिमों से हाल में कई बैंकों को काफी व्यय हुआ, को भी टाला जा सकता है।

- कई बार डाक/कुरियर एजेंसियां यह समझते हुए कि शनिवार को साप्ताहिक अवकाश है, निबीप्रगानि में पैकेट सुपुर्द नहीं करते हैं जब कि प्रीमियम प्राप्ति जैसे बैंकिंग कारोबार शनिवार, यदि वह प्रीमियम प्राप्त करने का अंतिम दिन हो तो, चालू रहते हैं। इससे

प्रत्यक्ष रूप से बीमाकृत बैंक पर अतिरिक्त ब्याज लगाया जा सकता है जिसे आरटीजीएस/एनईएफटी पद्धति के प्रयोग से टाला जा सकता है।

प्रश्न 13 आरटीजीएस के माध्यम से भेजे गए जमा बीमा प्रीमियम के लिए राशि उपलब्धता तारीख कौन सी होगी ?

उत्तर निगम के खाते में राशि के जमा होने की तारीख को प्रीमियम भुगतान तारीख माना जाएगा।

प्रश्न 14 क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके जरिए आरटीजीएस के माध्यम से प्रीमियम भरने वाला बैंक विप्रेषण रिकार्ड कर सकता है ?

उत्तर विप्रेषिती बैंकर से पुष्टिकरण प्राप्त करने के अलावा निबीप्रगानि भी जमा प्राप्ति के लिए एक अलग पावती जारी करेगा। निबीप्रगानि को भेजे जाने वाली डीआई-01 विवरणी में बीमाकृत बैंक को संबंधित स्थान पर अनुरूपी यूटीआर संख्या का उल्लेख करना होगा जिससे लेन देन रिकार्ड करना पूर्ण होगा।

प्रश्न 15 विप्रेषिती प्रीमियम भुगतान करने वाले बैंक को विप्रेषण करने के लिए बैंक को कौन सी अनिवार्य जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ?

उत्तर प्रीमियम भरने वाले बैंक को आरटीजीएस विप्रेषण करने हेतु बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी :

1. विप्रेषण राशि
2. प्रीमियम भरने वाले बैंक जिसे नामे डालना है, की खाता संख्या
3. लाभार्थी का नाम (अर्थात निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम - निबीप्रगानि)
4. लाभार्थी ग्राहक का नाम (अर्थात निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम - निबीप्रगानि)
5. प्रेषक से प्राप्तकर्ता को जानकारी - (अर्थात आरटीजीएस शाखा के माध्यम से प्रीमियम भरने वाले बीमाकृत बैंक का नाम और निबीप्रगानि पंजीकरण संख्या के साथ प्रयोजन संबंधी टिप्पणी जैसे 'सितम्बर 2009' की छमाही के लिए प्रीमियम '/प्रीमियम चूक पर ब्याज' आदि)
6. प्राप्तकर्ता बैंक का आरएफएससी (अर्थात डीआईसीजी 0000001)
(आरएफएससी का तात्पर्य है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। यह उपयोगकर्ता दर उपयोगकर्ता संदेश के प्रेषण में सभी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा प्रयोजन हेतु एक संबोधन कोड है। यह कोड बैंक शाखाओं को विशिष्ट पहचान आंकड़ा प्रदान करता है। इस कोड में 11 वर्ण हैं - पहले 4 वर्ण (4 ! ए) संस्था का प्रतिनिधित्व करता है; पांचवा स्थान भविष्य में प्रयोग हेतु 0 (शून्य) रखा गया है; और अंतिम 6 वर्ण (6 ! X) शाखा की पहचान बताते हैं।)

प्रश्न 16 प्रीमियम भरने वाले गैर-आरटीजीएस बैंक द्वारा "प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को जानकारी" में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने अथवा उपरोल्लिखित अनुसार आरटीजीएस करने वाली शाखा द्वारा प्रविष्ट नहीं करने की स्थिति में क्या होता है ?

उत्तर यदि "प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को जानकारी" अधूरा या खाली हो तो निबीप्रगानि के लिए तत्काल उसे बीमाकृत बैंक की पहचान करने और जमा करने में मुश्किल हो जाएगा जिसकी ओर से प्रीमियम भरा गया है। दूसरे आरटीजीएस समर्थित बैंक शाखा के माध्यम से प्रीमियम भरने वाले बीमाकृत बैंक को प्राप्ति/निर्धारण सूचना देने में विलंब होने के लिए यह एक मात्र आधार है। यद्यपि, विप्रेषण बैंक यह उल्लेख करे कि उक्त सूचना अनिवार्य नहीं है, बीमाकृत बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सूचना अपने हित में प्रविष्टि करें।

प्रश्न 17 यदि आरटीजीएस समर्थित बैंक यह उल्लेख करता है कि वह अपने सहभागी इंटरफेस (पीआई) मॉड्यूल में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (निबीप्रगानि) का नाम का पता नहीं लगा पा रहा है तो क्या होगा ?

उत्तर जब भी कोई नया सदस्य आरटीजीएस प्रणाली में जोड़ा जाता है तो सभी सहभागी एक सहभागी कोड परिवर्तन अधिसूचना प्राप्त करेंगे। यह अधिसूचना नये सदस्य के कोड के साथ स्थानीय (पीआई) डेटाबेस को अद्यतन करता है परंतु बैंक और शाखा ब्यौरे अद्यतन नहीं करता है। यह अद्यतनीकरण यह सुनिश्चित करता है कि संदेश वैधीकरण पीआई पर होता है। इस अधिसूचना के प्राप्त करने के बाद पीआई में संगठन कोड रखरखाव विकल्प का प्रयोग करते हुए बैंक/शाखा ब्यौरों को जोड़ा जाता है ताकि आईएफएससी का प्रयोग आसान हो सके। उपर्युक्त समस्या ऐसे मामलों में आती है जब निबीप्रगानि आईएफएससी ब्यौरों के साथ डेटा बेस को अद्यतन नहीं किया गया हो अथवा पीआई में संगठन कोड रखरखाव विकल्प का प्रयोग करते हुए ब्यौरों को नहीं जोड़ा गया हो। आरटीजीएस समर्थित बैंक को अपने स्वयं के आरटीजीएस सहायता डेस्क (डेटा केंद्र पर) से संपर्क करना होगा या भारतीय रिज़र्व बैंक आरटीजीएस सहायता डेस्क से टेलिफोन या ई-मेल द्वारा तत्काल सहायता के लिए संपर्क करना होगा।

प्रश्न 18 इस प्रकार के लेन देन को सरल बनाने हेतु क्या निबीप्रगानि/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई उपाय किए गए हैं ?

उत्तर हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक/निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा लिए गए कुछ विशिष्ट उपाय निम्नानुसार हैं :

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस समर्थित बैंकों के नेटवर्क को काफी बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं ताकि ऐसी कोई शाखा आपके करीब हो।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस समर्थित बैंकों के ग्राहक विंडो (अर्थात् कारोबार घंटे) को भारतीय रिज़र्व बैंक के कारोबार सत्रों के अनुरूप विस्तार किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने संबंधित बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ग्राहकों को आरटीजीएस सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान और निपटान विभाग) ने ऐसे बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, जो सामान्यतः सहकारी बैंकों को "सम मूल्य पर" चेक सुविधाएं प्रदान करते हैं, के साथ 5 जनवरी 2009 को एक बैठक आयोजित की और यह अनुदेश दिया कि ऐसे बैंक सहकारी बैंकों को समझाएं और आरटीजीएस के माध्यम से जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान सरल बनाएं और चेक/डीडी के माध्यम से भुगतान मना करें।

प्रश्न 19 जमा न होने या निबीप्रगानि में जमा होने में विलंब होने की स्थिति में या कोई संबंधित विषयों/सहायता के लिए मैं किससे संपर्क करूं ?

उत्तर अपने बैंक/शाखा से संपर्क करें। यदि मुद्दे का निपटान संतोषजनक न हो तो निबीप्रगानि से निम्नलिखित टेलीफोन/मेल पते पर संपर्क किया जा सकता है :

टेलिफोन सं.	(022) 2306 2161, 2302 1158 (सीधा) (022) 2308 4121 (विस्तार सं.2223, 2225, 2228)
फैक्स सं.	(022) 2301 5662 (022) 2301 8165
ई-मेल-	dicgcpremium@rbi.org.in

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कार्य घंटे सोमवार से शुक्रवार तक 10.00 से 17.45 तक है)